न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री वीरमाराम, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 46/20221.

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

प्रार्थी

1. सतीराम पुत्र सालगराम, निवासी ऐवाड़ी भीमजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।
2. अमृतलाल पुत्र श्री लूम्बारामजी निवासी ऐवाड़ी भीमजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
3. गुणेशराम पुत्र श्री लूम्बारामजी निवासी ऐवाड़ी भीमजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
4. चम्पादेवी पत्नी श्री लूम्बारामजी निवासी ऐवाड़ी भीमजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।
5. भीखाराम पुत्र श्री लूम्बारामजी, निवासी ऐवाड़ी भीमजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
6. देवीलाल पुत्र दुर्गाराम, निवासी ऐवाड़ी भीमजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
7. शिवलाल पुत्र दुर्गाराम, निवासी ऐवाड़ी भीमजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर के कायम मुकाम–

7 / 1. हरीश पुत्र शिवलाल निवासी ऐवाड़ी भीमजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

7 / 2. दिनेश पुत्र शिवलाल, निवासी ऐवाड़ी भीमजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण

1. घेवरराम पुत्र श्री सगराम जाति ब्राह्मण, निवासी ऐवाड़ी भीमजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।
2. चान्दो पत्नी चिमनीराम जाति ब्रांह्मण, निवासी ऐवाड़ी भीमजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
3. जगदीश पुत्र चिमनीराम जाति ब्राह्मण, निवासी ऐवाड़ी भीमजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
4. मालाराम पुत्र चिमनीराम जाति ब्राह्मण, निवासी ऐवाड़ी भीमजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
5. सतीराम पुत्र चिमनीराम जाति ब्राह्मण, निवासी ऐवाड़ी भीमजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
6. मानाराम पुत्र सगराम जाति ब्राह्मण, निवासी ऐवाड़ी भीमजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
7. रणछोड़राम पुत्र सगराम जाति ब्राह्मण, निवासी ऐवाड़ी भीमजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
8. गुणेशराम पुत्र सगराम जाति ब्राह्मण, निवासी ऐवाड़ी भीमजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।
9. जमना पत्नी केसराराम जाति ब्राह्मण, निवासी ऐवाड़ी भीमजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
10. [illegible] केसराराम जाति ब्राह्मण, निव[illegible] ऐवा[illegible] भीमजी तहसील सिणधरी जिला बा[illegible]
11. श्री[illegible]राम जाति ब्राह्मण, निवासी ऐवाड़ी [illegible]जी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
12. जेठाराम पुत्र केसराराम जाति ब्राह्मण, निवासी ऐवाड़ी भीमजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
13. सताराम पुत्र मानाराम जाति जाट

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:20:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

निवासी ऐवाड़ी भीमजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

14. मोटाराम पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी ऐवाड़ी भीमजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।

15. अणदुदेवी पत्नी गंगाराम जाति जाट, निवासी ऐवाड़ी भीमजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

16. विशनाराम पुत्र गंगाराम जाति जाट, निवासी ऐवाड़ी भीमजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।

17. हरजीराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी ऐवाड़ी भीमजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर ।

18. रामाराम पुत्र शेराराम जाति जाट, निवासी ऐवाड़ी भीमजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

19. हीराराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी ऐवाड़ी भीमजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।

20. श्रीमान सरपंच, ग्राम पंचायत कमठाई तहसील सिणधरी ।

21. श्रीमान राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदारजी सिणधरी ।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री गणपतदान चारण, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री बीजाराम गोदारा, अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 15–19
3. श्री जोगराज पोटलिया, अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 9–12
4. विप्रार्थी सं. 19 के पैरोकार सरकार उपस्थित/ शेष विप्रार्थी एकतरफा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:20:15 IST
Reason: SelfAttested

<u>आदेश</u>

दिनांक 28.09.2022

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम एवाड़ी भीमजी पटवार क्षेत्र कमठाई भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नं. 47 रकबा 25.3783 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम एवाड़ी भीमजी पटवार क्षेत्र कमठाई भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नं. 47 रकबा 25.3783 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण सं. 9 से 12 व 15 से 19 के वकील उपस्थित हुए तथा शेष विप्रार्थी सं. 1 से 8, 13 से 14 व 20 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम एवाड़ी भीमजी पटवार क्षेत्र कमठाई भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नं. 47 रकबा 25.3783 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है,इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम एवाड़ी भीमजी पटवार क्षेत्र कमठाई भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नं. 47 रकबा 25.3783 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.इसके विपरित वकील विप्रार्थी सं. 9 से 12 की ओर अपने जवाब के अभिकथनों के समर्थन कथन करते हुए बताया कि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद मेड़ को लेकर नहीं है। न ही किसी प्रकार से सेढ़ा की मेड़ को तोड़ा जा रहा है। आवेदन पत्र पेश कराने से पहले प्रार्थीगण के द्वारा ऐसा कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है जिससे यह साबित हो कि मौके पर सीमा को लेकर विवाद है तथा सीमाज्ञान की कार्यवाही में भी किसी प्रकार से उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त आवेदन [illegible] किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:20:15 IST
Reason: SelfAttested

5.हमनें दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर [illegible] रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम एवाड़ी भीमजी पटवार क्षेत्र कमठाई भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नं. 47 रकबा 25.3783 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

रिकार्डड सहखातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है। विवादित भूमि की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 19.02.2020 के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि प्रार्थी शिवलाल पुत्र दुर्गाराम व उनके सहखातेदारों अर्थात भाईयों के मध्य आपसी विवाद है, परन्तु प्रार्थी की खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर सेढा पड़ौसीयों से विवाद हो यह स्पष्ट नहीं है, फिर भी अदालत ऐसी स्थिति में नेखमंबदी से पहले सीमांकन करवाते हुए नेखमबंदी की कार्यवाही किया जाना उचित समझती है।

6. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम एवाड़ी भीमजी पटवार क्षेत्र कमठाई भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नं. 47 रकबा 25.3783 हैक्टेयर भूमि का सीमांकन करने के पश्चात् चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 29-09-2022 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:20:15 IST
Reason: SelfAttested